फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर – 302001 (राज.), जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शंकर सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह शेखावत अधिकृत प्रतिनिधि एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री चुन्नीलाल पिता श्री शंकरलाल सोनी, निवासी थोरिया घाटा, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

   बंधक सम्पत्ति का विवरण :–

   श्री चुन्नीलाल पिता श्री शंकरलाल सोनी

   पट्टा संख्या 32, संकल्प संख्या 02, आराजी संख्या 1137, ग्राम पंचायत गजपुर, पंचायत समिती कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति।

   – ऋणी एवं बंधककर्ता

2. श्री प्रकाश चन्द्र सोनी पिता श्री चुन्नीलाल सोनी, निवासी थोरिया घाटा, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री चुन्नीलाल जी, निवासी मकान नम्बर 47, थोरिया घाटा, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) **– – – सहऋणी**
4. श्री सोहन सिंह पिता श्री खुम सिंह जी, निवासी थोरिया घाटा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

   – जमानती

   – विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 30/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.12.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड राजसमन्द ने दिनांकः 14.01.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, व 3 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 12.10.2017 को 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल	

सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया था। विपक्षी संख्या 4 ने उक्त ऋण की जमानत दी थी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** चुन्नीलाल पिता श्री शंकरलाल सोनी पट्टा संख्या 32, संकल्प संख्या 02, आराजी संख्या 1137, ग्राम पंचायत गजपुर, पंचायत समिती कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढ़ांचा आदि है, जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1805.00 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व में :– नूर खान का मकान, पश्चिम में :– आम रास्ता, उत्तर में :– रामलाल पिता भूरा बलाई का मकान, दक्षिण में :– सोहन सिंह पिता खुम सिंह का मकान, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 12.11.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 24.06.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 3,27,699/– अक्षरे तीन लाख सताइस हजार छः सौ निन्नयानवें रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 24.06.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 24.06.2021 का टंकित नोटिस दिनांक 01.07.2021 विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording

reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 24.06.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– चुन्नीलाल पिता श्री शंकरलाल सोनी पट्टा संख्या 32, संकल्प संख्या 02, आराजी संख्या 1137, ग्राम पंचायत गजपुर, पंचायत समिती कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढ़ांचा आदि है, जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1805.00 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व में :– नूर खान का मकान, पश्चिम में :– आम रास्ता, उत्तर में :– रामलाल पिता भूरा बलाई का मकान, दक्षिण में :– सोहन सिंह पिता खुम सिंह का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द